उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 765 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017
देहरादून:: दिनांक :: 21 सितम्बर, 2017

अधिसूचना / शुद्धिपत्र

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(एक) क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जैसा कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में परिभाषित हो, और जो कि सरकार, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो, - (क) ऐतिहासिक इमारत, प्रागैतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक महत्व के अवशेष या प्रागैतिहासिक उत्खनन या प्राचीन वस्तुएं जो कि प्राचीन स्मारक एवं प्रागैतिहासिक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) में विनिर्दिष्ट हैं; (ख) नहर, बांध और सिंचाई की अन्य संरचनाऐं; (ग) पाइप लाइन, कन्डुइट या प्लांट जो कि (एक) जल आपूर्ति (दो) जल शोधन, या (तीन) सीवरेज शोधन या निपटान के लिए हों।	6	-
(iv) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में यथा विनिर्दिष्ट हो	6	-

और निम्नलिखित के निर्माण, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, देख रेख करने, नवीनीकृत करने या संशोधित करने के लिए की गई हो, यथा - (क) सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल जो कि सामान्य जनता के सड़क परिवहन के लिए प्रयोग की जाती हो; (ख) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना की किसी स्कीम से संबंधित हो; (ग) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए (शहरी) आवास मिशन/ प्रधान मंत्री आवास योजना, के अंतर्गत "निजी भागीदारी के माध्यम से वर्तमान स्लम वासियों की उनकी वर्तमान जमीन का संसाधन के रूप में प्रयोग करके स्वस्थानिक आवास" से संबंधित हो, केवल वर्तमान स्लम वासियों के लिए; (घ) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सब के लिए (शहरी) आवास मिशन/ प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत "लाभान्भोगी उन्मुखी व्यक्तिगत आवास निर्माण/ संवर्धन" से संबंधित हो; (ङ) प्रदूषण नियंत्रण कचरा निपटान संयंत्र, उनको छोड़कर जो कि कारखाने के एक हिस्से के रूप में अवस्थित हों; या (च) संरचनाएं जो कि श्मसान या कब्रगाह, शवदाह के लिए हो।		
(v) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित हों और ऐसे निर्माण, स्थापना या मूल निर्माण के माध्यम से की गई हो जो कि निम्नलिखित से संबंधित है,- (क) रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर; (ख) एकल आवासीय इकाई जो कि किसी आवासीय परिषद के हिस्से से पृथक हो; (ग) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्गमीटर तक हो और ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई "स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप" के अंतर्गत अनुमोदित हो; (घ) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60	6	-

वर्गमीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिनको कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित के अंतर्गत अनुमोदित किया हो- (1) सब के लिए (शहरी) मकान मिशन/ प्रधानमंत्री आवास योजना के 'अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप' **घटक**; (2) राज्य सरकार की कोई आवासीय योजना; (ङ) कृषि उत्पादों के फसलोपरान्त भण्डारण की संरचनाएं जिसमें **इस उद्देश्य से सम्बंधित कोल्ड स्टोरेज** भी आता है; या (च) मैक्नाइज्ड फूड ग्रेन हैण्डलिंग सिस्टम, मशीनरी या उपकरण जो कि उन इकाईयों के लिए हो जहां कि कृषि उत्पादों का खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसंस्करण होता है, अल्कोहल युक्त पेय को छोड़कर।		
(vi) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न निर्माण सेवाएं।	9	-";

(दो) क्रम सं. 8 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	6	-";

(तीन) क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की सेवाएं। **स्पष्टीकरण** : "माल परिवहन अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	6	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन

		अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तद्दोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करना पड़ेगा।";

(चार) क्रम सं. 10 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	6	-";

(पाँच) क्रम सं. 11 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) की सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है । स्पष्टीकरण- "माल परिवहन अधिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	6	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तद्दोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति

		की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करना पड़ेगा।";

(छः) क्रम सं. 26 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) के मद (i) के समक्ष ,-

(क) उप-मद (ख), के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(ख) वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आते हैं;";

(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(ii) अन्य व्यक्तियों के माल पर किया गया कोई उपचार या की गयी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं जो कि निम्नलिखित से संबंधित है - (क) समाचार पत्रों का मुद्रण; (ख) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण।	2.5	-
(iii) पूर्वोक्त (i) और (ii) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं।	9	-";

(सात) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)
"27	**शीर्ष 9989**	(i) समाचार पत्र, पुस्तकें (जिसमें ब्रेल पुस्तकें भी शामिल हैं) पत्रों और आवधिक पत्रों के मुद्रण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा, जहां कि प्रकाशक द्वारा केवल विषयवस्तु प्रदान की जाती है और जिसमें कागज़ समेत प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होने वाले भौतिक इनपुट प्रिंटर के होते है।	6	-
		(ii) उपर्युक्त (i) से भिन्न्न अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं।	9	-";

(viii) **क्रम सं. 34 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (i) में शब्द "ड्रामा है" के पश्चात "या प्लेनेटेरियम" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।**

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 765/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3— विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4— अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5— एन0आई0सी0

6— गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 765/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 22 September, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 765/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 22 September, 2017

Notification/Amendment

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No.525/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table,-

(i) against serial number 3, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, supplied to the Government, a local authority or a Governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,- (a) a historical monument, archaeological site or remains of national importance, archaeological excavation, or antiquity specified under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958); (b) canal, dam or other irrigation works; (c) pipeline, conduit or plant for (i) water supply(ii) water treatment, or (iii) sewerage treatment or disposal.	6	-
(iv) Composite supply of works contract as defined in clause	6	-

(119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,- (a) a road, bridge, tunnel, or terminal for road transportation for use by general public; (b) a civil structure or any other original works pertaining to a scheme under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission or Rajiv Awaas Yojana; (c) a civil structure or any other original works pertaining to the "In-situ rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation" under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana, only for existing slum dwellers; (d) a civil structure or any other original works pertaining to the "Beneficiary led individual house construction / enhancement" under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana; (e) a pollution control or effluent treatment plant, except located as a part of a factory; or (f) a structure meant for funeral, burial or cremation of deceased.		
(v) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to,- (a) railways, excluding monorail and metro; (b) a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex; (c) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved by competent authority empowered under the 'Scheme of Affordable Housing in Partnership' framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India; (d) low cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved by the competent authority under- (1) the "Affordable Housing in Partnership" component of the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana;	6	-

(2) any housing scheme of a State Government; (e) post-harvest storage infrastructure for agricultural produce including a cold storage for such purposes; or (f) mechanised food grain handling system, machinery or equipment for units processing agricultural produce as food stuff excluding alcoholic beverages.		
(vi) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	9	-";

(ii) against serial number 8, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(vi) Transport of passengers by motor cab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	-";

(iii) against serial number 9, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). *Explanation*.- "goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay State tax @6% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay State tax @ 6%

		on all the services of GTA supplied by it.”;

(iv) against serial number 10, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(i) Renting of motor cab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	-”;

(v) against serial number 11, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). *Explanation*.- “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay State tax @ 6% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay State tax @ 6% on all the services of GTA supplied by it.”;

(vi) against serial number 26,-

(a) in column (3),in item (i),-

(A) for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted, namely:-

"(b) Textiles and textile products falling under Chapter 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";

(B)the *Explanation* shall be omitted;

(b) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person,in relation to- (a) printing of newspapers; (b) printing of books (including Braille books), journals and periodicals.	2.5	-
(iii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i) and (ii) above.	9	-";

(vii) for serial number 27and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27	**Heading 9989**	(i) Services by way of printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	6	-
		(ii) Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services, other than (i) above.	9	-";

(viii) against serial number 34, in column (3), in item (i), after the word "drama", the words "or planetarium" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of August, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary